(174)

(281)

निग0-02687/2018/सतना/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा म0प्र0

कुन्जीबा उर्फ कुन्जीलाल चमार तनय बन्दीबा चमार उम्र 55 वर्ष, निवासी इंटमा नदीतीर तहसील रामपुर बाघेलान थाना अमरपाटन जिला सतनाम0प्र0

---- निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा पेश 02-5-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम्

नरेन्द्र शुक्ला उर्फ नन्दू शुक्ला तनय महेश प्रसाद शुक्ला निवासी इंटमा नदीतीर तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ----- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व राजस्व निरीक्षक वृत्त बोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 48ए/12/2016-17 आदेश दिनांक 13/7/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित हैः-

(1) यहकि राजस्व निरीक्षक वृत्त बोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना का सीमांकन पुष्टि करण का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

174

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग002687 / 2018 / सतना / भू–रा0 जिला–सतना

कुन्जीवा / नरेन्द्र शुक्ला

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 48 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	